न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–74/2015/भीलवाड़ा (2015/00013)

1. मोहनलाल पुत्र गोविन्दराम असावा, निवासी पुर, हाल नि0 लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड़, भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती शांतादेवी पत्नि शान्तिलाल मण्डोवरा, नि0 गली नं0 3, गंगापुर, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. मदनलाल पुत्र गोविन्दराम (मृतक जरिये वारिसानः–)
   2/1– ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल असावा, निवासी 18–राजस्थान सोसायटी, कमीश्नर ऑफिस के सामने, शाहीबाग, अहमदाबाद– गुजरात ।
   2/2– प्रदीप कुमार पुत्र मदनलाल असावा, 18–राजस्थान सोसायटी कमीश्नर ऑफिस के सामने, शाहीबाग, अहमदाबाद–गुजरात ।?
3. बंशीलाल पुत्र भागीरथ असावा, निवासी पुर स्कूल के पास, पुर, जिला भीलवाडा ।
4. गोरदरनलाल पुत्र रामस्वरूप असावा, नि0 मानव मंदिर एपार्टमेंट सेफाली बंगलोज के सामने, अम्बिका नगर के पीछे, विराट नगर रोड़, अहमदाबाद, गुजरात ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 29.5.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 11/2015.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांक :– 29.01.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 7024 निर्णय दिनांक 27.12.2013 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर, तहसील भीलवाड़ा में साबिक बंदोबस्त आराजी नंबर 1978 रकबा 1–7 बीघा, जो इन्द्रबाई बेवा बिहारी लाल असावा, निवासी पुर 1/2 हिस्सा एवं रामस्वरूप पिता बंशीलाल असावा का 1/2 हिस्सा होकर संयुक्त खाते में विद्यमान रही है, में से अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 के पिता गोविन्दराम पिता रंगलाल असावा, जो कि कर्ता संयुक्त हिन्दु अविभक्त परिवार, निवासी पुर रहे है, को बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 4.4.1966 को श्रीमती इन्द्रबाई असावा का विद्यमान संपूर्ण हिस्सा खरीद कर अपीलांट के पिता गोविन्दराम ने आधिपत्य प्राप्त किया । तद्न्तर में गोविन्दराम का निधन हो गया और मृतक गोविन्दराम के वारिस अपीलांट एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 है । प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त भूमि के विक्रेता की पुत्री है और सहखातेदार इन्द्रबाई असावा द्वारा निष्पादित उक्त वर्णित विक्रय पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 शांताबाई ने साक्ष्य स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये है। इन्द्रबाई के निधन के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती करके प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 7024 दिनांक 27.12.2013 से स्वंय के नाम खाते में दर्ज करा लिया है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 का किसी प्रकार का हक संबंध वास्ता न तो था और न ही है । अधी0न्याया0 तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 7024 अवैध एवं प्रभाव शून्य होकर खारिज योग्य है। अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 29.5.2015 द्वारा अपीलांट की अपील अपास्त किये जाने के आदेश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में अवस्थित कृषि भूमि साकिन बंदोबस्ती आराजी नंबर 1978 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा श्रीमती इन्द्रबाई बेवा बिहारीलाल असावा साकिन पुर 1/2 हिस्सा एवं रामस्वरूप व बंशीलाल असावा का 1/2 हिस्सा होकर संयुक्त खाते में विद्यमान रही है । उक्त आराजी में से अपीलांट एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता गोविन्दराम पुत्र रंगलाल असावा, जो कि कर्ता संयुक्त हिन्दू अविभक्त परिवार रहे है, ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से दिनांक 4.4.1966 को श्रीमती इन्द्रबाई असावा का विद्यमान संपूर्ण हिस्सा क्रय कर अपीलांट के पिता गोविन्दराम ने आधिपत्य प्राप्त किया । क्रेता गोविन्दराम की मृत्यु उपरांत अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 संख्या 1 विक्रेता इन्द्रबाई की पुत्री है और

सहखातेदार इन्द्रबाई असावा द्वारा निष्पादित उक्त विक्रय पत्र में रेस्पो0 संख्या 1 शांताबाई ने भी साक्ष्य स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये है । इस प्रकार यह तथ्य अभिलेख से सुस्थापित है कि श्रीमती इन्द्रबाई द्वारा किये गये विक्रय की भलीभांति जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को दिनांक 4.4. 1966 से ही रही है तथा उक्त विक्रय विलेख का पटवारी हल्का ने नामांतकरण संख्या 506 दिनांक 1.5.1966 से राजस्व जमाबंदी में अमल दरामद कर रखा है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसील भीलवाडा में हुई नवीन बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 1978 के नवीन नंबर 4438 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कायम किये गये है । विवादित भूकि की विक्रेता इन्द्रबाई के निधन होने पर रेस्पो0 संख्या 1 शांतादेवी के मन में बेईमानी आने से उसने विवादित आराजी का विरासत नामांतकरण संख्या 7024 दिनांक 27.12.2013 से अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई संबंध, सरोकार नहीं है । तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 7024 संस्थित करने से पूर्व अभिलेख से सत्यापन करने का प्रयास नहीं किया और न ही मौके पर कब्जे के तथ्यों की ही जांच की गई एवं न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही दिया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलांट के समस्त तथ्यों को मानने के बावजूद अपीलांट की अपील अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 7024 दिनांक 27.12.2013 एवं विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2015 अपास्त किये जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर 1976 पेज 249, आर0आर0डी0 2001 पेज 469, डी0एन0जे0 2009 (1) पेज 93, राजस्थान भूराजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 133 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 1978 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में स्व0 इंन्द्रबाई बेवा बिहारीलाल असावा का 1/2 हिस्सा अभिलिखित था जिसे अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 के पिता गोविन्दराम ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4.4.1966 को संपूर्ण 1/2 हिस्सा क्रय किया था । मूल विक्रय अभिलेख पर पटवारी हल्का ने खरीदशुदा भूमि का संवत् 2022 दिनांक 1.5.1966 को नामांतकरण संख्या 506 क्रेता के नाम अभिलिखित किये जाने का अंकन किया है लेकिन तत्समय में राजस्व अभिलेख में खरीदशुदा संपूर्ण भूमि का इंद्राज नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप विक्रय की गई भूमि पुनः विक्रेता इन्द्रबाई के नाम दर्ज रही है। तत्पश्चात् विक्रेता इन्द्रबाई की मृत्यु होने पर विक्रेता इन्द्रबाई की आराजी जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 7024 दिनांक 27.12.2013 से

रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती शांतादेवी के नाम दर्ज की गई है । नामांतकरण संख्या 506 संस्थित करते समय विवादित भूमि की खातेदार श्रीमती इन्द्रबाई थी तथा खातेदार की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 के नाम संस्थित विरासत नामांतकरण को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने विक्रय पत्र के आधार पर अनुतोष चाहा है जो घोषणात्मक वाद के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते है । नामांतकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसके माध्यम से किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण इस प्रकरण मे चस्पा नही होते है। अपीलांट अपने पिता के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है । अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा का निष्कर्ष विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

5- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.5.2015 एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 7024 दिनांक 27. 12.2013 यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

6- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 74/2015 (2015/00013) बउनवानी मोहनलाल बनाम श्रीमती शांतादेवी को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2015 बउनवान मोहनलाल बनाम श्रीमती शांतादेवी में पारित निर्णय दिनांक 29.5. 2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

7- आदेश आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.02.07 12:37:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: